भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2331

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026/24 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों का असंतुलित उपयोग

2331. श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उर्वरक के असंतुलित उपयोग और उर्वरकों के गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए निरंतर डायवर्जन से संबंधित समस्याओं से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या महाराष्ट्र में किसानों को प्रभावित करने वाले उर्वरक के डायवर्जन, कालाबाजारी या आपूर्ति की कमी की सीमा का कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने से उक्त मुद्दों को संबोधित करने के लिए कोई ठोस कार्य योजना, प्रवर्तनकारी उपाय या निगरानी प्रणाली विकसित हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या महाराष्ट्र में वितरण अक्षमताओं और असंतुलित राजसहायता संबंधी संरचनाओं के कारण किसानों को उपयुक्त उर्वरकों तक समय पर पहुंच प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या सरकार का महाराष्ट्र में किसानों को उर्वरक की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुधारों या नीतिगत परिवर्तनों सहित किसी विशिष्ट सुधारात्मक उपाय का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि उनके दीर्घकालिक प्रयोग से पता चला है कि वर्षों से कम मात्रा में ऑर्गेनिक पदार्थ के साथ रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में गिरावट के साथ-साथ बहु-पोषक तत्वों की कमी होती है। इसलिए,

आईसीएआर पौधों के पोषक तत्वों के इनआर्गेनिक और आर्गेनिक दोनों स्रोतों (खाद, जैव उर्वरक, हरित खाद, यथास्थान फसल अवशेष पुनर्चक्रण आदि) के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषकतत्व प्रबंधन की सिफारिश करता है। आईसीएआर ने विभिन्न फसलों और मिट्टी के प्रकारों के अनुरूप विशिष्ट जैव उर्वरकों के उन्नत और कुशल उपभेदों के अलावा विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक खाद तैयार करने की तकनीक विकसित की है। आईसीएआर इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है, फ्रंट-लाइन प्रस्तुतियों, जागरूकता कार्यक्रमों आदि का भी आयोजन करता है।

उर्वरक संबंधी जमाखोरी, विपथन और कालाबाजारी जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को उक्त कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है। इन कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए 01.04.2025 से 30.01.2026 तक महाराष्ट्र सहित राज्यों द्वारा किए गए प्रवर्तन उपायों के संबंध में विवरण **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार ने समन्वित विशेष निरीक्षण किए हैं और पूरे महाराष्ट्र राज्य में प्रवर्तन कार्रवाई की गई है। इनमें राज्य कृषि अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण, औचक छापे, डीलरों के उर्वरक स्टॉक का सत्यापन शामिल हैं।

(ग): भारत सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श करके कालाबाजारी, जमाखोरी, घटिया उर्वरक पाए जाने और विपथन संबंधी मामलों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाई की साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से निगरानी कर रही है। महाराष्ट्र में, अप्रैल 2025 से 30.01.2026 तक 48866 छापे मारे गए हैं जिनमें से 1584 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, 1427 लाइसेंस निलंबित/रद्द कर दिए गए हैं और 62 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

(घ) और (ड.): पोर्ट/संयंत्र से पीओएस मशीन तक सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी पूरे देश में ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) द्वारा की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य के किसानों सहित सभी किसानों को बिना किसी मनाही के सब्सिडी प्राप्त दरों पर उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि महाराष्ट्र राज्य में सब्सिडी प्राप्त रासायनिक उर्वरकों की बिक्री के लिए कुल 29206 सक्रिय खुदरा विक्रेता और 5831 थोक विक्रेता काम करते हैं। डीलर नेटवर्क ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भली-भांति फैला हुआ है।

देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं:

i. प्रत्येक फसल मौसम के प्रारंभ होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

ii. डीएएंडएफडब्ल्यू द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

iii. देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

iv. राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

v. रेल मंत्रालय के साथ नियमित समन्वय बैठकें होती हैं ताकि राज्यों को पर्याप्त रैक मिलें, उर्वरकों को प्राथमिकता दी जाए और रैक की समय पर निकासी कराई जा सके।

vi. राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, चल रहे रबी मौसम 2025-26 के दौरान महाराष्ट्र राज्य में उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एनपीकेएस और एमओपी की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता, बिक्री और अंतिम स्टॉक के बारे में जानकारी **अनुलग्नक-II** पर दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2331 के उत्तर के भाग (क) और (ख) से संबंधित है।

अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 (30.01.2026 तक) तक का संचयी विवरण

अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 (30.01.2026) तक की अवधि के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, विपथन आदि को रोकने तथा गुणवत्ता जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

			कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन				कुल		
क्र.सं.	राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	विवरण के साथ दोषसिद्ध*	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
1	आंध्र प्रदेश	20746	80	10	9	193	11	19	346	0	0	19	4	12	शून्य	638	25	40
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
3	असम	4723	12	6	1	59	0	0	46	1	0	27	0	0	शून्य	144	7	1
4	बिहार	22961	1241	782	116	7	0	0	5	0	0	0	0	0	शून्य	1253	782	116
5	छत्तीसगढ़	6916	295	13	4	29	1	0	145	5	0	24	0	0	शून्य	493	19	4
6	दादर और नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
7	दिल्ली	345	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	शून्य	3	3	1
8	गोवा	619	544	180	6	10	0	0	32	1	0	16	0	0	शून्य	602	181	6
9	गुजरात	16055	46	3	1	15	0	0	117	2	0	9	4	11	शून्य	187	9	12
10	हरियाणा	5139	65	15	10	24	20	5	51	12	6	13	5	6	शून्य	153	52	27
11	हिमाचल प्रदेश	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
12	जम्मू और कश्मीर	4725	143	44	2	32	3	0	66	2	0	8	0	0	शून्य	249	49	2
13	झारखंड	759	57	20	11	32	4	0	2	0	0	1	1	0	शून्य	92	25	11
14	कर्नाटक	8708	368	25	1	243	5	0	244	14	2	96	6	8	शून्य	951	50	11
15	केरल	1585	0	0	0	0	0	0	50	0	0	4	0	4	शून्य	54	0	4
16	मध्य प्रदेश	6089	0	0	91	0	0	0	739	44	4	723	160	15	शून्य	1462	204	110
17	महाराष्ट्र	48866	16	0	16	0	0	0	1567	1354	44	1	73	2	शून्य	1584	1427	62
18	मणिपुर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	शून्य	1	0	0
19	मेघालय	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
20	मिजोरम	35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	शून्य	5	0	0
21	नागालैंड	77	14	0	14	0	0	0	101	0	0	2	64	1	शून्य	117	64	15
22	ओडिशा	7601	4	3	2	0	0	0	55	1	1	2077	110	4	शून्य	2136	114	7
23	पुडुचेरी	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
24	पंजाब	6441	37	1	1	20	0	1	293	92	3	5	0	5	शून्य	355	93	10
25	राजस्थान	11905	652	118	47	74	40	34	506	1	2	27	22	27	शून्य	1259	181	110
26	तमिलनाडु	21086	14	0	4	6	8	0	33	25	0	112	17	1	शून्य	165	50	5
27	तेलंगाना	130333	5	9	3	4	2	0	128	0	0	4	0	5	शून्य	141	11	8
28	त्रिपुरा	796	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	9	0	0
29	उत्तर प्रदेश	39887	2341	2901	179	164	139	11	164	151	20	88	7	14	3	2757	3198	224
30	उत्तराखंड	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	शून्य	43	0	0
31	पश्चिम बंगाल	50267	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	शून्य	286	0	0
	कुल	**417913**	**5935**	**4130**	**519**	**921**	**233**	**70**	**4979**	**1705**	**82**	**3304**	**476**	**115**	**3**	**15139**	**6544**	**786**

* - प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण- मामलों की संख्या, एफआईआर का वर्ष और मामला दर्ज करने का वर्ष और आदेश की तारीख

उपरोक्त आंकड़ों को राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संकलित किया गया है

अनुलग्नक-II

यह अनुलग्नक दिनांक 13.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2331 के उत्तर के भाग (घ) और (ड.) से संबंधित है।

रबी 2025-26 (08/02/26 तक) के लिए महाराष्ट्र राज्य में उर्वरक स्थिति					
					आंकड़े एलएमटी में
क्र.सं.	उत्पाद	01/10/25 से 08/02/26 तक यथानुपातिक आवश्यकता	01/10/25 से 08/02/26 तक उपलब्धता	01/10/25 से 08/02/26 तक संचयी डीबीटी बिक्री	08/02/26 के अनुसार अंतिम स्टॉक
1	यूरिया	8.58	12.61	8.57	4.04
2	डीएपी	2.08	3.88	2.02	1.87
3	एमओपी	1.12	1.50	0.69	0.81
4	एनपीकेएस	9.57	17.64	8.26	9.39
कुल		**21.35**	**35.64**	**19.54**	**16.10**